न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 615 / 2022 निर्णय दिनांक :–30.01.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

सुखा पिता नाथू जाति लुहार निवासी डाबरकला

–अप्रार्थी –

उपस्थिति :–
पेरोकार सरकार

अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आंवटी सुखा पिता नाथू लुहार को दिनांक 18.12.1978 को ग्राम डाबरकला में खसरा नम्बर 15/2 रकबा 5 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त आवंटित भूमि के भूप्रबन्ध बाद नये खसरा नम्बर 53 रकबा 0.08 है0 दर्ज किया गया। उक्त गैर खातेदार को ग्राम डाबरकला खसरा नम्बर 53 रकबा 0.08 है0 मे से खसरा नम्बर 0.06 है0 रकबे के खातेदारी हक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है । उक्त खातेदारी दिये जाने के बाद ख0न0 2719/53 रकबा 0.02 किस्म बारानी।। गैर खातेदार सुखा पुत्र नाथू लुहार के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया है जो कि भूप्रबन्ध द्वारा आंवटित भूमि के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिये जाने से रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन पत्र के चरण सं. 4 मे अंकित भूमि मे सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया ।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब पेश न कर सीधे ही बहस की प्रार्थना की।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस प्रार्थना की आड में मेरी भूमि या मेरे कब्जे में मजामहत न हो तो प्रार्थना पत्र पर कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आवंटन पत्रावली के अनुसार दिनांक 18.12.1978 में सुखा पिता नाथू लुहार को ख. नं. 15/2 रकबा 5 बिस्वा भूमि आवंटित हुई। बाद भू–प्रबन्ध ख. नं. 15/2 रकबा 5 बिस्वा के नये ख. नं. 53 रकबा 0.08 है0 बनाये गये। जबकि 5 बिस्वा का है0 मे परिवर्तन करने पर 0. 0627 है0 होते है अर्थात अप्रार्थी के खाते में 0.0627 है0 अर्थात 0.06 है0 के स्थान पर 0. 08 है0 भूमि लगा दी गई। जो कि 0.02 है0 अधिक है। तहसीलदार देवली ने प. ह. डाबरकला व भू. अभि. निरीक्षक के प्रार्थना पत्र पर ख. नं. 53 के नये व ख. नं. 2718/53 रकबा 0.06 है0 व ख. नं. 2719/53 रकबा 0.02 है0 बनाकर अप्रार्थी को ख. नं. 2718/53 रकबा 0.06 है0 के खातेदारी अधिकार दिये गये तथा ख. नं. 2719/53 रकबा 0.02 है0 भूमि गैर खातेदारी के रूप में दर्ज रह गई। अतः ख. नं. 2719/53 रकबा 0.02 है0 को गैर खातेदारी से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार ने न्यायालय से प्रार्थना की है। अतः राजस्व दस्तावेजो का विवचन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त बाबत अधिवक्ता प्रतिपक्ष ने भी कोई आपति पेश नहीं की है। अतः आराजी ख. नं. 1719/53 रकबा 0.02 है भूमि वाके ग्राम डाबरकला तहसील देवली से गैर खातेदार सुखा पुत्र नाथू का नाम विलोपित कर, इस भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व नियमानुसार कब्जेराज लेने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली